न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 165 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00314

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी हाल चेचट जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

रामचन्द्र आत्मज नारायण राव निवासी जुल्मी मृतक जर्ये का0मु0

1. मोहन बाई पतिन स्व0 रामचन्द्र
2. शान्तिलाल आत्मज रामचन्द्र
3. परमानन्द आत्मज रामचन्द्र
4. रामगोपाल आत्मज रामचन्द्र
   जाति राव निवासी निवासीगण जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 17 / 03 / 2026

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी रामचन्द्र आत्मज जाति राव निवासी जुल्मी को ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.18 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस वारिसान को बाद तामिल प्राप्त होकर आवंटी रामचन्द्र की मृत्यु होना बताया तथा वारिसान कायम मुकामान की सूची प्रस्तुत की गई । अप्रार्थी की कायम मुकामान 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक उत्पल शर्मा का वकालतनामा दिनांक 9.7.2025 को पेश हुआ । वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया तथा कई मौके दिये जाने उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही आज उपस्थित हुए है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम हरिपुरा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.18 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी आवंटी को ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 327 रकबा 1.18 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही उपस्थित है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकवा 1.18 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा